

22.8.22

पत्रावली पेश। क्रीम सार्थी उपस्थित।
वृत्त पर मतलब किया एवं पत्रावली का
अकबोरा किया गया तो पाया गया कि
सार्थी ने लक्ष्मी रावली के एक 2 KM
के प.नं. 238/59 मु.नं. 83 के क्लॉक.
1,10 में 2-2 क्लॉक रास्ता स्वीकृत करने
के लिए निवेदन किया है। इसी भूमि से संबंधित
इस आधार पर में जैरंगल एक समय

फर्द अहकाम

क्र. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्रकरण संख्या 2021/511 (JCMS) अनवान कृष्णलाल आदि बनाम विमला देवी आदि का निर्णय हो चुका है जिसमें धारणा पत्र स्वीकार करते हुए इसी भूमि के ठिका जं. 1, 10, 11 में 2-2 बिस्का रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अलग से निर्णय किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः इस धारणा पत्र को प्रकरण संख्या 2021/511 (JCMS) अनवान कृष्णलाल आदि बनाम विमला देवी आदि के साथ संबन्ध किया जाता है एवं इसी स्तर पर निर्णय किया जाता है। इस प्रकरण के पक्षवाल भी उसी प्रकरण में स्वीकृत रास्ते का उपयोग करेंगे। पत्रावली का इ तस्वीर तस्वीर होकर हस्तिल प्राप्त हो।</p>	
	<p>(अनिवार्य) उपखण्ड अधिकारी घडसाना</p>	